उत्तराखण्ड शासन

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग

संख्या:- **725/XIV-2/2021/07(06)/2013**

देहरादून दिनांक अगस्त, **2021**

कार्यालय ज्ञाप

पेराई सत्र 2021-22 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का मूल्य निर्धारण किये जाने हेतु गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से जुड़े समस्त पक्षों से विचार-विमर्ष करने के उपरान्त शासन को इस संबंध में परामर्ष प्रदान किये जाने हेतु एतद्द्वारा ’’राज्य परामर्षी समिति’’ गठित की जाती है। समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः-

1-अध्यक्ष:-

सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2-गन्ना क्षेत्र के विषेशज्ञ:-

(1) डॉ॰ एम॰एल॰ शर्मा, विभागाध्यक्ष कृषि अर्थशास्त्र विभाग, पं॰ गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)।

(2) डॉ॰ आर॰एस॰ जादौन, डीन, सी॰ए॰डी॰एन॰, अधिष्ठाता कृषि विपणन प्रबन्धन महाविद्यालय), पं॰ गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (ऊधमसिंह नगर)।

(3) डॉ॰ आनन्द सिंह जीना, प्रभारी अधिकारी, गन्ना शोध एवं अनुसंधान केन्द्र काशीपुर ।

3-चीनी मिल प्रतिनिधि:-

1- प्रधान प्रबन्धक (नाम से) दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, नादेही जनपद ऊधमसिंह नगर।

2- अधिशासी निदेशक (नाम से) डोईवाला शुगर फैक्ट्री लि॰, डोईवाला (देहरादून)।

3- प्रधान प्रबन्धक (नाम से) मैसर्स आर॰बी॰एन॰एस॰ षुगर मिल्स लि॰, लक्सर (हरिद्वार)।

4- कृषक प्रतिनिधि:-

1- श्री कृष्ण कुमार सिंह, निवासी लण्ढौरा, तहसील रूड़की, हरिद्वार।

2- श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह निवासी ब्रह्मपुर जट्ट, पो॰ गुरूकुल, नारसन, हरिद्वार।

3- श्री शेषराज सैनी पुत्र स्व॰ श्री इन्दर सिंह सैनी, निवासी शाहपुर शीतलाखेड़ा, तहसील व जनपद हरिद्वार।

4- श्री ब्रजमोहन पोखरियाल पुत्र श्री कन्हैया लाल पोखरियाल, निवासी रसूलपुर गोट, लालढॉंग, तहसील व जनपद हरिद्वार।

5- चौधरी सतेन्द्र सिंह पुत्र स्व॰ श्री जगदीश्वर सिंह, निवासी चौधरी फार्म, सहदौरा, किच्छा, जनपद ऊधमसिंहनगर।

6- श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व॰ श्री त्रिलोक सिंह, निवासी लामाचौड़, हल्द्वानी, जनपद ऊधमसिंहनगर।

7- श्री उमेश सिंह चौहान पुत्र श्री कीरत सिंह चौहान, निवासी ग्राम पित्तवाला, पो॰ मेहूवाला, माजरा, जनपद देहरादून।

**5-**संयोजक:-

गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।

उपरोक्त परामर्षी समिति समस्त पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगी, समिति की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त विस्तृत रूप से बनाया जायेगा। समिति समस्त पक्षों से विचार- विमर्श करेगी तथा अपना परामर्श यथाशीघ्र शासन को प्रस्तुत करेगी, ताकि विधि अनुसार गन्ना मूल्य घोषित किया जा सके।

(उदय राज सिंह)

अपर सचिव

संख्या - **725/XIV-2/2021/07(06)/2013**तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1. निजी सचिव, मा॰ गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री जी को मा॰ मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2. निजी सचिव, सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड काशीपुर उधमसिंहनगर।

4. जिलाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार।

5. समस्त नामित सदस्यगण।

6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)

उप सचिव